UPKU010032452026

न्यायालय– सत्र न्यायाधीश, कुशीनगर स्थान पडरौना।

प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या **– 844/2026**

1–सहेदुनिसा बउम्र 70 वर्ष पत्नी वारिस,
2– सरीफ बउम्र 46 वर्ष पुत्र वारिस,
3– अमीना खातून बउम्र 35 वर्ष पत्नी हसमत अली,
4– जहांनआरा बउम्र 26 वर्ष पुत्र मुस्ताक अहमद,
साकिनान – विन्दवलिया बरवा रतनपुर, थाना– कप्तानगंज, जनपद–कुशीनगर।

–––– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार। –––विपक्षी।

मु०अ०सं०–510/2025,
धारा–69,115(2),351(3),324(4),
127(2),318(4),61(2)(क)
बी०एन०एस०
थाना– कप्तानगंज
जिला– कुशीनगर।

निस्तारण अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र

1– यह अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण/अभियुक्तगण सहेदुनिसा, सरीफ, अमीना खातून व जहांनारा की ओर से उपरोक्त मामले में अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2–अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 05–11–2025 को वादिनी मुकदमा श्रीमती पूनम देवी द्वारा थाना कप्तानगंज में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसके पति की तबियत हमेशा खराब रहती थी। दवा इलाज कराती थी। कोई बताया कि अच्छा इलाज एक डाक्टर करता है जो ग्राम लक्ष्मीपुर में रहता है। उसका नाम मुस्ताक अहमद है। वह उनके हास्पिटल में लगभग एक वर्ष पूर्व अपने पति को लेकर गई तो दुआ व दवा इलाज करना शुरू किया तथा कहा कि उसके पति को गंभीर बीमारी है। तुमको यही पर रहकर दवा इलाज कराना होगा। वह धीरे धीरे उसे व उसके पति को अपने बस में कर लिया तथा डरा धमकाकर उसके साथ गलत संबंध जबरदस्ती शुरू कर दिया तथा कहा कि हिन्दू धर्म छोड़कर

मुस्लिम धर्म अपना लो तभी तुम्हारा पति ठीक होगा। उसे जबरदस्ती गाय का मांस भी खिलाया। जब वह अपनी बात किसी से बताना चाहती थी तो घर से बाहर नहीं निकलने देता था। उसे अपने घर में कैद करके रखता था। जब वह विरोध करती थी तो उसे चाकू दिखाकर डराता था। उसके साथ उसकी पत्नी, माता, बहन व भाई उसकी व उसके पति की घर में रखवाली करते थे तथा मारते पीटते थे। जब कभी उसे बाहर जाना होता था तो उसके सभी परिवार के लोग साथ जाते थे। उसके पति को अस्पताल में एक कमरे में कैद करके रखते थे। एक दिन मुस्ताक अहमद उसे व उसके पति को अपने गांव लेकर गया तथा 18 दिन तक उसे अपने घर पर रखा। एक दिन सदर तहसील महराजगंज लेकर गया तथा वहां जाकर उसके पति के नाम से जो खेत था उसे बैनामा करवा लिया। जब वह पूछी तो कहा कि यह दूसरा काम हो रहा है। जब खेत का दाखिल खारिज हो गया तो जाकर आठ माह बाद उसे व उसके पति को छोड़ा तथा कहा कि यह बात किसी को मत बताना नहीं हो उसी दिन उसका पति मर जाएगा। वह डर के नाते किसी से नहीं बताई। उसका पुराना मोबाइल जिसका नंबर 8127507884 था, तोड़कर फेंक दिया। वह गांव के लोगों से बताई तब जाकर पूरा खेत का मामला पता चला। अब उसके पास कुछ नहीं बचा है। उसके साथ अन्य लोग भी थे, जिन्हे वह पहचान नहीं पाई। मुस्ताक अहमद का मो०नं०–9044181372 है। तदनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की याचना की गई।

3– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में कहा है कि अभियुक्तगण निर्दोष हैं। उन्होनें कोई अपराध नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट भ्रामक, गनगढ़न्त व गलत तथ्यों के आधार पर दर्ज कराई गई है। सह अभियुक्त मुस्ताक अहमद के विरूद्ध गंभीर आरोप लगाए गए थे जिसकी जमानत माननीय उच्च न्यायालय से हो चुकी है। प्रश्नगत अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है। अब तक की विवेचना के आधार पर मात्र सह अभियुक्त मुस्ताक अहमद के विरूद्ध ही आरोप पत्र दाखिल हुआ है। प्रश्नगत अभियुक्तगण के विरूद्ध आपराधिक षड़यन्त्र का कोई सीधा साक्ष्य नहीं है। अभियुक्तगण विवेचना में सहयोग करने को तैयार हैं। समता का मामला है। अभियुक्तगण जमानत मुचलका दाखिल करने को तैयार हैं। तदनुसार जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई।

4–विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा बहस में कहा गया है कि प्रश्नगत अभियुक्तगण द्वारा सह अभियुक्त मुस्ताक अहमद की अपराध में सक्रिय भूमिका निभाते हुए मदद की जाती थी, जो पेशे से डाक्टर है। सह अभियुक्त मुस्ताक अहमद की नियमित जमानत इस न्यायालय से दिनांक 09–12–2025 को खारिज की जा चुकी है। तदनुसार जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की याचना की गई।

5– मैने अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को सुना तथा केस डायरी व पत्रावली का अवलोकन किया।

6– प्रश्नगत अभियुक्तगण मुख्य अभियुक्त मुस्ताक अहमद के पारिवारिक सदस्य के रूप में प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद हैं। अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप है कि उनके द्वारा सह अभियुक्त मुस्ताक अहमद की अपराध में सक्रिय भूमिका निभाते हुए मदद की जाती थी, जो पेशे से डाक्टर है। सह अभियुक्त मुस्ताक अहमद की नियमित

जमानत इस न्यायालय से दिनांक 09–12–2025 को खारिज की जा चुकी है। अभियुक्तगण द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। पीड़िता ने अपने धारा 180,183 बी.एन.एस.एस. के ब्यान में प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्यों की पुष्टि किया है। पीड़िता ने अपने धारा 183 बी.एन.एस.एस. के ब्यान में स्पष्ट रूप से कहा है कि सह अभियुक्त मुस्ताक अहमद ने पीड़िता के पति की जमीन पीड़िता के नाम के बजाय अपने नाम से करवा लिया तथा उसे घर में बन्द करके उसके साथ गलत काम भी किया। अपराध की प्रकृति गंभीर है। उक्त कारणों के मद्देनजर अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं पाया जाता है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण सहेदुनिसा, सरीफ, अमीना खातून व जहांनारा द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

दिनांकः **04.06.2026**
R.P.Shukla

(ओम प्रकाश–IX)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
कुशीनगर, स्थान–पडरौना।